संख्याः–1718/79–6–2016

प्रेषक,

अजय कुमार सिंह,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी,
   उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
   उत्तर प्रदेश।

बेसिक शिक्षा अनुभाग–6 लखनऊ दिनांकः 13 दिसम्बर, 2016

विषयः मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत छात्र/छात्राओं के उपयोगार्थ आपूर्तित बर्तनों के भुगतान के संबंध में दिशा–निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि "मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत प्रदेश में कक्षा 1–8 तक के राजकीय, परिषदीय, सहायता प्राप्त विद्यालयों, तहतहानिया मदरसों एवं राष्ट्रीय बाल श्रम योजनान्तर्गत संचालित विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को मध्यान्ह भोजन हेतु बर्तन उपलब्ध कराये जाने विषयक" शासनादेश दिनांक 02 फरवरी, 2016 के क्रम में मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण द्वारा बर्तन क्रय किये जाने हेतु रू0–113.30 प्रति थाली एवं गिलास के सेट के दर से निम्नलिखित तीन आपूर्तिकर्ताओं को क्रय आदेश निर्गत किये गये हैं–

1. मेसर्स पॉवरटेक इलेक्ट्रोइन्फ्रा प्रा0लि0, सी–2001/22, इरम इण्टर कालेज के पीछे, इन्दिरा नगर, लखनऊ–226016
2. मे0 अभिलाषा कामर्शियल प्रा0लि0, जी–69, सेक्टर–6, नोएडा, उ0प्र0।
3. मे0 दीवान एण्ड सण्स, लकरी–फजलपुर, मिनी बाई पास, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।

2– उक्त के क्रम में "मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत छात्र/छात्राओं के उपयोगार्थ क्रय किये गये थाली एवं गिलास के डिलीवरी प्वाइंट्स पर प्राप्ति, सत्यापन, टेस्टिंग, वितरण एवं भुगतान के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश" विषयक शासनादेश दिनांक 17 अक्टूबर, 2016 जारी किया गया है। तत्क्रम में शासनादेश संख्या–1517/79–6–2016 दिनांक 28.11.2016 द्वारा बर्तनों के क्रय हेतु रू0 50.00 करोड़ की धनराशि निर्गत की जा चुकी है। बर्तनों की सैम्पल टेस्टिंग एन0ए0बी0एल0 मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला में कराये जाने सम्बन्धी निर्देश के क्रम में एन0ए0बी0एल0 मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं से प्राप्त प्रस्तावों मे न्यूनतम दर रू0 600/–प्रति बर्तन (कर एवं परिवहन व्यय सहित) पर सहमति प्रदान करने वाली निम्नलिखित प्रयोगशालाओं का चयन मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण द्वारा किया गया है–

1. द रिसर्च इंस्टिट्यूट ऑफ मटेरियल साइंसेस प्लाट नं0–22 एवं 23, रणजी एनक्लेव, नांगली सकरावती, निकट द्वारिका मोड़ दिल्ली।
2. अर्थब लैबोरेटरीज प्रा0लि0, बी–100 फेज–2 नोएडा, उ0प्र0।

3. केमिकल एनालिसिस लैब, बी–32 श्याम पार्क एक्सटेंशन, साहिबाबाद, गाजियाबाद।

3– उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 17 अक्टूबर, 2016 के बिन्दु संख्या–3.2 में उल्लिखित है कि "डिलीवरी प्वाइंट पर बर्तनों की आपूर्ति के तीन दिवस के भीतर बर्तनों के 03 सेट सैम्पल टेस्टिंग हेतु एकत्रित किये जायेगें, जिनमें से 02 सेट बर्तन सील्ड कर एन0ए0बी0एल0 मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं में जांच कराये जाने हेतु मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण को उपलब्ध कराने होगें।" तदनुसार बर्तन का वितरण बच्चों के मध्य कर दिया जाय।

इसी प्रकार बिन्दु संख्या–3.3 के अनुसार "मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण द्वारा समस्त सैम्पल की प्रयोगशालाओं में जांच कराकर जनपदों को रिपोर्ट प्रेषित की जायेगी एवं जांच रिपोर्ट के आधार पर ही जनपदों द्वारा आपूर्तिकर्ता के बिल का भुगतान किया जायेगा।"

बिन्दु संख्या– 5.3 के अनुसार "आपूर्तिकर्ता से बिल प्राप्त हाने अथवा सैम्पल टैस्टिंग की संतोषजनक रिपोर्ट प्राप्त होने, जो भी बाद में प्राप्त हो, के 30 दिवस के अन्दर संबंधित आपूर्तिकर्ता को भुगतान सुनिश्चित किया जायेगा।

बिन्दु संख्या–5.4 में उल्लिखित हैं कि "आपूर्तिकर्ता को बिल के भुगतान किये जाने के समय सैम्पल टेस्टिंग शुल्क का समायोजन किया जाना होगा।"

उक्त के क्रम में आपूर्तिकर्ताओं तथा बर्तनों की जांच करने वाली प्रयोगशालाओं को भुगतान के संबंध में निम्नलिखित प्रक्रिया अपनायी जायेगी :–

1– जनपद स्तर पर भुगतान :–

आपूर्तिकर्ताओं द्वारा जनपदों को बर्तनों की पूर्ण आपूर्ति किये जाने के उपरान्त आपूर्तिकर्ताओं के बिल प्रस्तुत करने पर जनपदों द्वारा निम्नानुसार दो भागों में भुगतान किया जायेगाः–

1.1) आपूर्तिकर्ताओं को सैम्पल टेस्टिंग हेतु जनपदवार आगणित व्यय (रू0 2400/– प्रति डिलीवरी प्वाइण्ट के आधार पर) की कटौती करने के उपरान्त शेष धनराशि आपूर्तिकर्ताओं के खातें में सीधे भुगतान की जायेगी।

1.2) बर्तनों की सैम्पल टेस्टिंग हेतु कटौती की गयी उक्त धनराशि (रू0 2400/– प्रति डिलीवरी प्वाइण्ट के आधार पर) को सैम्पल जांच करने वाली प्रयोगशालाओं को, भुगतान मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण के लखनऊ स्थित यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, यू0पी0 स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन, विधान सभा मार्ग, लखनऊ, खाता संख्या–586502010002089, आई0एफ0एस0सी0 कोड–UBIN0558656 में आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से प्रेषित की जायेगी।

2– मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण स्तर पर भुगतान :–

जनपदों द्वारा बर्तनों के सैम्पल टेस्टिंग हेतु निर्धारित धनराशि (रू0 2400/– प्रति डिलीवरी प्वाइण्ट) की कटौती कर, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण के लखनऊ स्थित यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, यू0 पी0 स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन, विधान सभा

मार्ग, लखनऊ, खाता संख्या–586502010002089, आई0एफ0एस0सी0 कोड–UBIN0558656 में प्रेषित की गयी धनराशि का भुगतान, प्रयोगशालाओं द्वारा सैम्पल टेस्टिंग से सम्बन्धित बिल प्रस्तुत करने पर, प्राधिकरण द्वारा प्रयोगशालाओं के खाते में आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से किया जायेगा।

कृपया उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(अजय कुमार सिंह)
सचिव

संख्याः 1718(1)/79–6–2016 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1 समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
2 निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण, उ0प्र0 लखनऊ।
3 शिक्षा निदेशक (बेसिक) उ0प्र0 लखनऊ।
4 समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक(बे0), उ0प्र0।
5 समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, उ0प्र0।
6 समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0।
7 समस्त वित्त एवं लेखाधिकारी, बेसिक शिक्षा, उ0प्र0।
8 अनुश्रवण प्रकोष्ठ, बेसिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
9 वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–11 उ0प्र0 शासन। ।

आज्ञा से,

(देव प्रताप सिंह)
विशेष सचिव।

संख्याः–1718/79–6–2016

प्रेषक,

अजय कुमार सिंह,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी,
   उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
   उत्तर प्रदेश।

gmp

CFO
31
14.12.16

बेसिक शिक्षा अनुभाग–6 लखनऊ दिनांकः 13 दिसम्बर, 2016

विषयः मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत छात्र/छात्राओं के उपयोगार्थ आपूर्तित बर्तनों के भुगतान के संबंध में दिशा–निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि ''मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत प्रदेश में कक्षा 1–8 तक के राजकीय, परिषदीय, सहायता प्राप्त विद्यालयों, तहतहानिया मदरसों एवं राष्ट्रीय बाल श्रम योजनान्तर्गत संचालित विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को मध्यान्ह भोजन हेतु बर्तन उपलब्ध कराये जाने विषयक'' शासनादेश दिनांक 02 फरवरी, 2016 के क्रम में मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण द्वारा बर्तन क्रय किये जाने हेतु रू0–113.30 प्रति थाली एवं गिलास के सेट के दर से निम्नलिखित तीन आपूर्तिकर्ताओं को क्रय आदेश निर्गत किये गये हैं–

1. मेसर्स पॉवरटेक इलेक्ट्रोइन्फ्रा प्रा0लि0, सी–2001/22, इरम इण्टर कालेज के पीछे, इन्दिरा नगर, लखनऊ–226016
2. मे0 अभिलाषा कामर्शियल प्रा0लि0, जी–69, सेक्टर–6, नोएडा, उ0प्र0।
3. मे0 दीवान एण्ड सण्स, लकरी–फजलपुर, मिनी बाई पास, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।

2– उक्त के क्रम में ''मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत छात्र/छात्राओं के उपयोगार्थ क्रय किये गये थाली एवं गिलास के डिलीवरी प्वाइंट्स पर प्राप्ति, सत्यापन, टेस्टिंग, वितरण एवं भुगतान के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश'' विषयक शासनादेश दिनांक 17 अक्टूबर, 2016 जारी किया गया है। तत्क्रम में शासनादेश संख्या–1517/79–6–2016 दिनांक 28.11.2016 द्वारा बर्तनों के क्रय हेतु रू0 50.00 करोड़ की धनराशि निर्गत की जा चुकी है। बर्तनों की सैम्पल टेस्टिंग एन0ए0बी0एल0 मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला में कराये जाने सम्बन्धी निर्देश के क्रम में एन0ए0बी0एल0 मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं से प्राप्त प्रस्तावों मे न्यूनतम दर रू0 600/–प्रति बर्तन (कर एवं परिवहन व्यय सहित) पर सहमति प्रदान करने वाली निम्नलिखित प्रयोगशालाओं का चयन मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण द्वारा किया गया है–

1. द रिसर्च इंस्टिट्यूट ऑफ मटेरियल साइंसेस प्लाट नं0–22 एवं 23, रणजी एनक्लेव, नांगली सकरावती, निकट द्ववारिका मोड़ दिल्ली।
2. अर्थब लैबोरेटरीज प्रा0लि0, बी–100 फेज–2 नोएडा, उ0प्र0।

3. केमिकल एनालिसिस लैब, बी–32 श्याम पार्क एक्सटेंशन, साहिबाबाद, गाजियाबाद।

3– उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 17 अक्टूबर, 2016 के बिन्दु संख्या–3.2 में उल्लिखित है कि "डिलीवरी प्वाइंट पर बर्तनों की आपूर्ति के तीन दिवस के भीतर बर्तनों के 03 सेट सैम्पल टेस्टिंग हेतु एकत्रित किये जायेगें, जिनमें से 02 सेट बर्तन सील्ड कर एन0ए0बी0एल0 मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं में जांच कराये जाने हेतु मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण को उपलब्ध कराने होगें।" तदनुसार बर्तन का वितरण बच्चों के मध्य कर दिया जाय।

इसी प्रकार बिन्दु संख्या–3.3 के अनुसार "मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण द्वारा समस्त सैम्पल की प्रयोगशालाओं में जांच कराकर जनपदों को रिपोर्ट प्रेषित की जायेगी एवं जांच रिपोर्ट के आधार पर ही जनपदों द्वारा आपूर्तिकर्ता के बिल का भुगतान किया जायेगा।"

बिन्दु संख्या– 5.3 के अनुसार "आपूर्तिकर्ता से बिल प्राप्त हाने अथवा सैम्पल टैस्टिंग की संतोषजनक रिपोर्ट प्राप्त होने, जो भी बाद में प्राप्त हो, के 30 दिवस के अन्दर संबंधित आपूर्तिकर्ता को भुगतान सुनिश्चित किया जायेगा।

बिन्दु संख्या–5.4 में उल्लिखित हैं कि "आपूर्तिकर्ता को बिल के भुगतान किये जाने के समय सैम्पल टेस्टिंग शुल्क का समायोजन किया जाना होगा।"

उक्त के क्रम में आपूर्तिकर्ताओं तथा बर्तनों की जांच करने वाली प्रयोगशालाओं को भुगतान के संबंध में निम्नलिखित प्रक्रिया अपनायी जायेगी :–

1– जनपद स्तर पर भुगतान :–

आपूर्तिकर्ताओं द्वारा जनपदों को बर्तनों की पूर्ण आपूर्ति किये जाने के उपरान्त आपूर्तिकर्ताओं के बिल प्रस्तुत करने पर जनपदों द्वारा निम्नानुसार दो भागों में भुगतान किया जायेगाः–

1.1) आपूर्तिकर्ताओं को सैम्पल टेस्टिंग हेतु जनपदवार आगणित व्यय (रू0 2400/– प्रति डिलीवरी प्वाइण्ट के आधार पर) की कटौती करने के उपरान्त शेष धनराशि आपूर्तिकर्ताओं के खातें में सीधे भुगतान की जायेगी।

1.2) बर्तनों की सैम्पल टेस्टिंग हेतु कटौती की गयी उक्त धनराशि (रू0 2400/– प्रति डिलीवरी प्वाइण्ट के आधार पर) को सैम्पल जांच करने वाली प्रयोगशालाओं को, भुगतान मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण के लखनऊ स्थित यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, यू0पी0 स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन, विधान सभा मार्ग, लखनऊ, खाता संख्या–586502010002089, आई0एफ0एस0सी0 कोड–UBIN0558656 में आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से प्रेषित की जायेगी।

2– मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण स्तर पर भुगतान :–

जनपदों द्वारा बर्तनों के सैम्पल टेस्टिंग हेतु निर्धारित धनराशि (रू0 2400/– प्रति डिलीवरी प्वाइण्ट) की कटौती कर, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण के लखनऊ स्थित यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, यू0 पी0 स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन, विधान सभा

मार्ग, लखनऊ, खाता संख्या–586502010002089, आई0एफ0एस0सी0 कोड–UBIN0558656 में प्रेषित की गयी धनराशि का भुगतान, प्रयोगशालाओं द्वारा सैम्पल टेस्टिंग से सम्बन्धित बिल प्रस्तुत करने पर, प्राधिकरण द्वारा प्रयोगशालाओं के खाते में आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से किया जायेगा।

कृपया उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(अजय कुमार सिंह)
सचिव

संख्याः 1718(1)/79–6–2016 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1 समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
2 निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण, उ0प्र0 लखनऊ।
3 शिक्षा निदेशक (बेसिक) उ0प्र0 लखनऊ।
4 समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक(बे0), उ0प्र0।
5 समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, उ0प्र0।
6 समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0।
7 समस्त वित्त एवं लेखाधिकारी, बेसिक शिक्षा, उ0प्र0।
8 अनुश्रवण प्रकोष्ठ, बेसिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
9 वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–11 उ0प्र0 शासन। ।

आज्ञा से,

(देव प्रताप सिंह)
विशेष सचिव।

Edu-6 G.O.2016